



भारत सरकार

कार्यालय: नियंत्रक संचार लेखा, उ०प्र० (प०) परिमण्डल,  
ब्रह्मपुरी दूरसंचार भवन, दिल्ली रोड, मेरठ-250002

## पेंशन अदालत

दूरसंचार विभाग/भारत संचार निगम लि०, उ०प्र० (पश्चिम), मेरठ के समस्त सम्मानित पेंशन धारकों/अवकाश प्राप्त कर्मचारी, पारिवारिक पेंशन धारको इत्यादि को सूचित किया जाता है कि वे अपने पेंशन सम्बन्धित समस्त प्रकार के विवादित/विलम्बित मामले जो कि पेंशन, ग्रेच्यूटी, पेंशन कम्प्यूटेशन, रेस्टोरेशन, सामान्य भविष्य निधि और पेंशन रिवीजन इत्यादि से सम्बन्धित है के बारे में पूर्ण विवरण के साथ श्री बदन सिंह (उपनियंत्रक) को सम्बोधित कर डाक के माध्यम से 17/01/2018 तक प्रेषित करें। अपने आवेदन पत्र में पेंशन अदालत अवश्य लिखें। इस अदालत में दिनांक 30/09/2017 तक के विवादित पेंशन सम्बन्धित मामलो पर ही विचार या निर्णय किया जायेगा।

अदालत का आयोजन दिनांक 23/01/2018 CDA पेंशनर और 24/01/2018 एवं 25/01/2018 IDA पेंशनर को समय 11 बजे से 3 बजे तक कार्यालय महाप्रबन्धक, भा०सं०नि०लि०, गाजियाबाद जिला गाजियाबाद में किया जायेगा। आमंत्रित पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी अपने-अपने मामलो के समाधान हेतु निजी व्यय पर इसमें भाग ले सकेंगे।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें :-

1. Toll Free No.: 1800-180-3099
2. Phone : 0121-2403637
3. Fax : 0121-2404600
4. Website : [www.ccaupwest.gov.in](http://www.ccaupwest.gov.in)

प्रतिहस्ताक्षरित  
उप नियंत्रक संचार लेखा,  
उ०प्र० (पश्चिम)  
दूरसंचार परिमण्डल, मेरठ

भारत सरकार

कार्यालय: निरीक्षण संयोजक प्रारूप जल (पठ) परिनियम

कानून संख्या 100/2018 दिनांक 15/08/2018

1. पेंशन प्राप्त कर्ता का नाम -
2. पेंशन भुगतान आदेश संख्या -
3. पेंशन भुगतान कर्ता कार्यालय -
4. पेंशनर का पूरा पता पिन कोड सहित -
5. आधार कार्ड संख्या तथा मोबाइल नं० -
6. शिकायतों एवं पूर्व पत्राचार का विवरण (संदर्भ सहित) -

(हस्ताक्षर)

पेंशनर का नाम